



आदेश की क्रम सं० और तारीख	<b>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</b>	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ						
22/01/20	<b>न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल</b> <b>विविध वाद संख्या 56/2019-2020</b> <b>(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)</b> <b>आदेश</b>							
	<p>दाता श्री रामधनी सिंह यादव, पिता-श्री अनंत सिंह यादव, ग्राम-बुधन विगहा, थाना-मेहन्दिया, अंचल-कलेर, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="199 683 1268 884"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>120</td> <td>01 कटटा</td> <td>उत्तर-राम खेलावन सिंह दक्षिण-हरदन्त सिंह पूरब-देवी स्थान पश्चिम-नीज</td> </tr> </tbody> </table> <p>मौजा-बुधन विगहा, तौजी न०-....., थाना नं०-136, जिला-गया वर्तमान जिला-अरवल भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 841 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, कलेर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, कलेर से कार्यालय पत्रांक 834 दिनांक 31.12.2019 भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, कलेर के कार्यालय पत्रांक 103 दिनांक 27.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।</p> <p>भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, कलेर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि खाता संख्या-22, खेसरा संख्या-120, रकबा-0.03,1.25 भूमि रैयति है। जमाबंदी कायम नहीं हैं। भूदाता से जमाबंदी रैयत दानकर्ता के पूत्र है। वर्तमान में भूमि पर शिवदेनी सिंह यादव, पिता-स्व० रामधनी सिंह यादव, ग्राम-मडैला दखल कब्जा में है। भूदान पत्र में वर्णित भूमि भूहदबंदी, मालिक गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ मालिक, कैसरे हिन्द, श्मशान, मंदिर, मस्जिद से मुक्त है जिसे वर्णित भूमि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में खाता संख्या-22, खेसरा संख्या-120, रकबा-01 कटटा भूमि की संपुष्टि अंचल अधिकारी, कलेर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद- सह-अरवल को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="255 1545 598 1736" style="text-align: center;"> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>  <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल।</p> </div> <div data-bbox="981 1534 1300 1736" style="text-align: center;">  <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।</p> </div> </div>		खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	22	120
खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी					
22	120	01 कटटा	उत्तर-राम खेलावन सिंह दक्षिण-हरदन्त सिंह पूरब-देवी स्थान पश्चिम-नीज					